



बोलीदाताओं की पात्रता और योग्यता संबंधी अनिवार्य आवश्यकताएँ

यदि किसी निविदा का मूल्यांकन करने और यह निर्धारित करने के लिए कि निविदाकर्ता के पास आवश्यक योग्यताएँ हैं या नहीं, पात्रता/मूल्यांकन/योग्यता मानदंडों का उपयोग किया जाना है, तो इसे एनआईटी, आईटीबी या निविदा दस्तावेज के एक अलग अनुभाग में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह इन मानदंडों को पूरा करने का ठोस प्रमाण प्रस्तुत करे। निविदा में निर्दिष्ट न किए गए किसी भी मानदंड का उपयोग मूल्यांकन या योग्यता के लिए नहीं किया जा सकता है।

बोलीदाताओं की पात्रता

वह एजेंसी/बोलीदाता जिसके साथ भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय या टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा लेन-देन/व्यापारिक व्यवहार प्रतिबंधित, अस्वीकृत या निलंबित (वर्तमान में लागू) किया गया हो, या जो केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपी पोर्टल) या जीईएम पोर्टल पर उपलब्ध ऐसे बोलीदाताओं की सूची में शामिल हो, किसी भी कारण से, जिसमें भ्रष्टाचार और धोखाधड़ीपूर्ण आचरण शामिल हैं, अनुबंध प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा। बोलीदाता द्वारा इस संबंध में **अनुलग्नक-II** के अनुसार एक घोषणा प्रस्तुत की जाएगी। इस खंड के अनुसार बोलीदाता की पात्रता का निर्धारण करने की प्रक्रिया **अनुलग्नक-I** में परिभाषित है।



बोलीदाता की घोषणा

(बोलीदाता द्वारा भाग-1 के साथ लेटर हेड पर प्रस्तुत किया जाना है)

सेवा में,

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड,

.....,

.....,

.....,

विषय:

(निविदा संख्या.....)

महोदय,

हम यह वचन देते हैं कि:

1. उपरोक्त अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय (और यदि कार्य निष्पादन हेतु हमें सौंपा जाता है), हम भारत में लागू धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों, अर्थात् "भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988" का कड़ाई से पालन करेंगे।
2. हम विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार) या टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा भ्रष्ट और धोखाधड़ीपूर्ण आचरण के लिए अपात्रता की घोषणा के तहत नहीं हैं, न ही हमें किसी भी प्रकार के लेन-देन/व्यापार से प्रतिबंधित/निलंबित किया गया है, और न ही हमारा नाम केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपी पोर्टल) या जेम पोर्टल पर उपलब्ध ऐसे बोलीदाताओं की सूची में है जिन्हें प्रतिबंधित/निलंबित किया गया है।

दिनांक:

.....
(प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर)

नाम:.....

पदनाम

एजेंसी का नाम.....

एजेंसी की मुहर.....



बोलीदाताओं की पात्रता का आकलन करने की प्रक्रिया

अनुच्छेद (बोलीदाताओं की पात्रता) बोलियों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित तरीके से लागू होगा:	
i)	किसी संगठन/विभाग/परियोजना/यूनिट/कार्यालय द्वारा किसी अनुबंध की समाप्ति मात्र किसी "एजेंसी/बोलीदाता" की अपात्रता का मानदंड नहीं होगी, जब तक कि उस "एजेंसी/बोलीदाता" के साथ लेन-देन/व्यवसाय पर प्रतिबंध, निलंबन या रोक न लगा दी गई हो।
ii)	यदि विद्युत मंत्रालय या टीएचडीसीआईएल से किसी एजेंसी/बोलीदाता पर प्रतिबंध/अस्वीकृत/निलंबित करने संबंधी सूचना प्राप्त हो गई है, या निविदा जारी/प्रकाशित होने से पहले सीपीपी पोर्टल या जीईएम पोर्टल पर उपलब्ध ऐसे बोलीदाताओं की सूची में एजेंसी/बोलीदाता का नाम दिखाई देता है, तो एजेंसी/बोलीदाता निविदा में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होगा और इसलिए अनुबंध प्राप्त करने के लिए भी पात्र नहीं होगा।
iii)	यदि विद्युत मंत्रालय या टीएचडीसीआईएल से किसी एजेंसी/बोलीदाता पर प्रतिबंध/निलंबन/निलंबन संबंधी सूचना प्राप्त होती है, या निविदा जारी/प्रकाशित होने के बाद लेकिन बोलियां खोलने से पहले सीपीपी पोर्टल या जीईएम पोर्टल पर उपलब्ध ऐसे बोलीदाताओं की सूची में एजेंसी/बोलीदाता का नाम दिखाई देता है, तो ऐसी एजेंसी/बोलीदाता की बोली को अनुत्तरित बोली मानते हुए नहीं खोला जाएगा।
iv)	यदि विद्युत मंत्रालय या टीएचडीसीआईएल से किसी एजेंसी/बोलीदाता पर प्रतिबंध/निलंबन/निलंबन संबंधी सूचना प्राप्त होती है, या तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियां खुलने के बाद लेकिन 'मूल्य बोलियां' खुलने से पहले सीपीपी पोर्टल या जीईएम पोर्टल पर उपलब्ध ऐसे बोलीदाताओं की सूची में एजेंसी/बोलीदाता का नाम दिखाई देता है, और एजेंसी/बोलीदाता पहले ही निविदा प्रक्रिया में भाग ले चुका है, तो ऐसी एजेंसी/बोलीदाता की मूल्य बोली को अनुत्तरित बोली मानते हुए नहीं खोला जाएगा।
v)	यदि 'एजेंसी/बोलीदाता' पर प्रतिबंध/निलंबन/निलंबन के संबंध में सूचना प्राप्त होती है या 'एजेंसी/बोलीदाता' का नाम 'मूल्य बोलियां' खुलने के बाद लेकिन कार्य आवंटन से पहले सीपीपी पोर्टल या जीईएम पोर्टल पर उपलब्ध ऐसे बोलीदाताओं की सूची में दिखाई देता है, और 'एजेंसी/बोलीदाता' पहले ही निविदा प्रक्रिया में भाग ले चुका है, तो ऐसे 'एजेंसी/बोलीदाता' की बोली का मूल्यांकन निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा:
क)	विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार) के मामले में, ऐसी "एजेंसी/बोलीदाता" की "बोली" अस्वीकार कर दी जाएगी और कार्य आवंटन के लिए उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
ख)	टीएचडीसीआईएल के मामले में, ऐसी "एजेंसी/बोलीदाता" की 'बोली' को तभी अस्वीकार किया जाएगा जब मूल्य बोली खोलने से पहले टीएचडीसीआईएल द्वारा "एजेंसी/बोलीदाता" के खिलाफ प्रतिबंध/निलंबन/निलंबन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई हो।
ग)	अन्य संगठनों के मामले में, ऐसी "एजेंसी/बोलीदाता" की "बोली" अस्वीकृत नहीं की जाएगी। हालांकि, इस संबंध में अंतिम निर्णय टीएचडीसीआईएल का होगा।



vi)	किसी भी कारण से अस्वीकृत की गई ऐसी एजेंसी/बोलीदाता को आदेश जारी करने (या कार्य आवंटित करने) के लिए विचार नहीं किया जाएगा, भले ही उसकी बोली सबसे कम (एल-1) हो। ऐसी स्थिति में, निविदा पुनः जारी की जाएगी।
vii)	यदि कोई एजेंसी/बोलीदाता, सीपीपी पोर्टल या जीईएम पोर्टल पर प्रतिबंधित, अस्वीकृत या निलंबित एजेंसियों की सूची में शामिल है, तो ऐसे एजेंसी/बोलीदाता पर प्रतिबंध/निलंबन केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) या जीईएम पोर्टल पर ऐसी जानकारी अपलोड करने की तिथि से प्रभावी माना जाएगा। हालांकि, टीएचडीसीआईएल या विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार) से प्राप्त किसी भी सूचना के मामले में, यह सूचना टीएचडीसीआईएल के संबंधित विभाग(विभागों) में उस खरीद प्रक्रिया में शामिल विभाग को आदेश प्राप्त होने की तिथि से या सीपीपी पोर्टल या जीईएम पोर्टल पर ऐसी जानकारी अपलोड करने की तिथि से, जो भी पहले हो, प्रभावी मानी जाएगी।
viii)	तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियों और मूल्य बोलियों के मूल्यांकन के दौरान, निविदा समिति यह सुनिश्चित करेगी कि "एजेंसी/बोलीदाता" (विशेष निविदा में भाग लेने वाला) सीपीपी पोर्टल या जीईएम पोर्टल पर उन एजेंसियों/फर्मों की सूची में शामिल न हो, जिन पर लेनदेन/व्यापारिक गतिविधियों से प्रतिबंध/निलंबन लगा हुआ है, और इसे तदनुसार दर्ज किया जाएगा। इसी प्रकार, विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार) और टीएचडीसीआईएल के मामले में, संबंधित विभाग(ओं) के पास या निविदा खोलने वाली समिति के सदस्य(ओं) के पास उपलब्ध जानकारी ("एजेंसी/बोलीदाता" पर प्रतिबंध/निषेध/निलंबन के संबंध में) को तदनुसार बोली खोलने के रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।
ix)	टीएचडीसीआईएल के अंतर्गत किसी परियोजना/यूनिट/विभाग में किसी "एजेंसी/बोलीदाता" के साथ लेन-देन/व्यापार पर प्रतिबंध/ निषेध/निलंबन लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी मुख्य महाप्रबंधक के पद से नीचे का नहीं होगा। टीएचडीसीआईएल के अंतर्गत किसी परियोजना/यूनिट/विभाग द्वारा किसी "एजेंसी/बोलीदाता" पर लगाया गया प्रतिबंध/निलंबन/प्रतिबंध कंपनीव्यापी प्रतिबंध/निषेध/निलंबन माना जाएगा। संबंधित अनुमोदन प्राधिकारी विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार), केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपी पोर्टल) और जीईएम पोर्टल सहित टीएचडीसीआईएल के अंतर्गत अन्य परियोजनाओं/यूनिट/विभागों को सूचित करने के लिए परिपत्र जारी करने के लिए उत्तरदायी होगा।